प्रकार यहां कुल जोतों की 18.73 प्रतिशत जोतें लघु जोतें हैं। इस प्रकार यहां कुल कृषकों की संख्या में 18.73 प्रतिशत लघु कृषक (Small Farmers) हैं। **इस प्रकार यहां के 80.31 प्रतिशत कृषक सीमान्त व लघु कृषक हैं जिनके पास कुल क्षेत्रफल का केवल 36.02 प्रतिशत ही है।**

उप-विभाजन एवं अपखण्डन का अर्थ

भूमि के उप-विभाजन (Sub-division) **से अर्थ भूमि का किन्हीं कारणों से दो या अधिक व्यक्तियों में बाँटने से है।** यह विभाजन उत्तराधिकार नियमों या अन्य किन्हीं कारणों से हो सकता है। अनेक पीढ़ियों से यह परम्परा चली आ रही है कि जब एक परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसकी भूमि उसके पुत्रों में बँट जाती है। इस बँटवारे को उप-विभाजन कहते हैं।

अपखण्डन का अर्थ है कृषक की उस समस्त भूमि से जो एक स्थान पर न होकर अनेक स्थानों पर छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में बिखरी होती है, उनमें से प्रत्येक में से हिस्सा पाना।

उप-विभाजन एवं अपखण्डन को एक उदाहरण से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। यदि किसी कृषक के पास 10 हेक्टेअर भूमि और उसके दो पुत्र हैं तो प्रत्येक को 5-5 हेक्टेअर भूमि मिलेगी। इसको उप-विभाजन कहेंगे, लेकिन यदि कृषक की 10 हेक्टेअर भूमि दो स्थानों पर (5-5 हेक्टेअर) है तो दोनों पुत्रों को 2.5-2.5 हेक्टेअर भूमि दोनों स्थानों पर मिलेगी। इस प्रकार के विभाजन को अपखण्डन कहते हैं।

उप-विभाजन एवं अपखण्डन के कारण

अथवा

भारत में छोटे खेत या जोत का आकार छोटा होने के कारण

उप-विभाजन एवं अपखण्डन के बहुत-से कारण हैं। इन्हीं कारणों को भारत में खेत या जोत का आकार छोटा होने के कारण या लघु कृषक या सीमान्त कृषक बनने में सहायक घटक कहते हैं :

(1) **उत्तराधिकार नियम**—उप-विभाजन व अपखण्डन का सबसे प्रमुख भारतीय कारण उत्तराधिकार नियम है। इन नियमों में यह व्यवस्था है कि पिता की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति का बँटवारा उसके पुत्र एवं पुत्रियों में किया जाता है और प्रत्येक पुत्र एवं पुत्री को हिस्सा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि उनके पिता की भूमियाँ कई स्थानों पर होती हैं तो वे प्रत्येक स्थान की भूमि में हिस्सा चाहते हैं और इस प्रकार दो या तीन पीढ़ियों में ही भूमि छोटे-छोटे खण्डों या उप-खण्डों में विभाजित हो जाती है।

(2) **संयुक्त परिवार प्रणाली का ह्रास**—भारत में सैकड़ों वर्ष पूर्व संयुक्त परिवार प्रणाली बड़ी लोकप्रिय थी और घर के सभी सदस्य मिलकर कृषि क्रियाएँ करते थे, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति एवं शिक्षा के प्रभाव से व्यक्तिवाद की भावना को बढ़ावा मिला है जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार प्रणाली का ह्रास होता जा रहा है और भूमि के बँटवारे की प्रवृत्ति बलवती होती जा रही है।

(3) **जनसंख्या वृद्धि**—भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है और अनुमान है कि प्रतिवर्ष 1.60 करोड़ व्यक्ति बढ़ जाते हैं जिसमें से लगभग आधी वृद्धि कृषि भूमि पर होती है, लेकिन कृषि भूमि के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। इसका परिणाम यह होता है कि कृषि पर जनसंख्या का भार बढ़ जाता है जिससे उप-विभाजन व अपखण्डन को प्रोत्साहन मिलता है।

(4) **भूमि से मोह**—भारतीय कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति काफी मोह पाया जाता है जिसके कारण वे पैतृक भूमि से, चाहे भूमि का छोटा ही टुकड़ा क्यों न मिले, पाने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। साथ ही सामाजिक धारणाओं एवं रूढ़िवादिताओं ने इस मोह या लगाव के प्रति काफी आकर्षण पैदा कर दिया है। इस प्रकार भूमि के प्रति मोह होने के कारण भी उप-विभाजन व अपखण्डन हो जाता है।

(5) **कृषकों की ऋणग्रस्तता**—कृषकों की ऋणग्रस्तता भी उप-विभाजन व अपखण्डन का एक कारण है। प्रायः भारतीय कृषकों के बारे में कहा जाता है कि वे ऋण में ही जन्म लेते हैं और ऋणों का भार लेकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। कृषक को जब कभी भी ऋण की आवश्यकता होती है तो वह भूमि को ही गिरवी रखकर ऋण प्राप्त कर लेता है, लेकिन ऋण को न चुका पाने की स्थिति में भूमि का कुछ भाग बेचकर ऋण से मुक्ति पा लेता है। इस प्रकार यह प्रवृत्ति भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन को प्रोत्साहित करती है।

(6) **ग्रामोद्योगों का पतन**—भारत कुटीर एवं ग्रामोद्योगों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है, लेकिन मशीनों से बनी वस्तुओं की प्रतियोगिता के कारण इन उद्योगों का पतन हो रहा है। अतः ऐसे लोगों के पास बेरोजगारी

Scanned with CamScanner

से बचने के लिए, सिवाय भूमि में हिस्सा पाने के कोई और चारा नहीं रहा है। इस प्रकार यहाँ भूमि का उप-विभाजन व अपखण्डन इस कारण भी होता है।

(7) **कृषकों की अज्ञानता व अशिक्षा**—कृषकों की अज्ञानता एवं अशिक्षा भी भूमि के उप-विभाजन व अपखण्डन के लिए उत्तरदायी है। वे अपनी अज्ञानता के कारण इससे उत्पन्न होने वाले गम्भीर दोषों से अनभिज्ञ रहते हैं और भूमि के विभाजन पर जोर देते हैं जिसके परिणामस्वरूप विभाजन करना पड़ जाता है।

खेत छोटा होने या उप-विभाजन एवं अपखण्डन से लाभ
(ADVANTAGES OF SMALL FARMS OR SUB-DIVISION & FRAGMENTATION)

यद्यपि उप-विभाजन व अपखण्डन को कई दृष्टिकोणों से उचित नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ लाभ अवश्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। इन्हीं लाभों को खेत छोटा होने के लाभ या लघु एवं सीमान्त कृषि के लाभ भी कहते हैं :

(1) **सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग**—उप-विभाजन व अपखण्डन से छोटा खेत मिलने के कारण कृषक अपने सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने का भरसक प्रयत्न करता है और कार्य के प्रति रुचि बनाये रखता है।

(2) **आर्थिक समानता**—देश में उत्तराधिकार कानूनों के कारण भी उप-विभाजन व अपखण्डन होता है जिससे आर्थिक समानता उत्पन्न होती है जो समाजवादी समाज की स्थापना में सहयोग देती है तथा सामन्तवादी प्रवृत्ति को हतोत्साहित करती है।

(3) **क्षतिपूरक बीमा**—एक कृषक के पास अनेक छोटे-छोटे खेत होने से क्षतिपूरक बीमे का लाभ मिल जाता है। यदि किन्हीं कारणों से एक खेत में कीटाणु लग जाते हैं या पाला पड़ जाता है या वहाँ वर्षा नहीं होती तो कृषक को अन्य खेत से तो आय हो ही जाती है। इस प्रकार कई खेत उसके लिए क्षतिपूरक बीमे का कार्य करते हैं।

(4) **जीविकोपार्जन का साधन**—उत्तराधिकार नियमों के कारण कृषक को भूमि का टुकड़ा अवश्य ही मिल जाता है जिससे वह अन्य साधनों के अभाव में जीविकोपार्जन कर सकता है।

(5) **विभिन्न भूमियों के लाभ**—सभी भूमियाँ समान गुण वाली नहीं होती हैं। कोई भूमि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है तो कोई चावल की खेती के लिए। इस प्रकार कृषक इन विभिन्न प्रकार की भूमियों में विभिन्न प्रकार की खेती कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(6) **फसलों की अदला-बदली**—कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एक भूमि पर बार-बार एक ही फसल करने से उस भूमि के तत्वों में कमी हो जाती है। अतः फसलों में अदला-बदली करते रहना चाहिए। इससे भूमि की उत्पादक शक्ति यथावत् बनी रहती है। छोटे-छोटे खेत होने से फसलों की अदला-बदली आसान हो जाती है और इस प्रकार इसका लाभ उठाया जा सकता है।

(7) **विपणन में सुविधा**—खेत छोटे-छोटे होने से उत्पादन भी थोड़ी ही मात्रा में होता है। अतः इसको आस-पास के बाजारों में ही बेचा जा सकता है। इस प्रकार उत्पादन का संग्रह करने व मण्डी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती है तथा विपणन व्ययों की बचत हो जाती है।

(8) **गहरी खेती**—छोटे खेत कृषक को गहरी खेती के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे उत्पादन बढ़ता है और देश खाद्यान्नों में आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर होता है।

(9) **अधिक रोजगार**—खेतों का आकार छोटा होने के कारण अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। यदि खेतों का आकार बड़ा होता है तो मशीनों व यन्त्रों से काम लेकर कम व्यक्तियों से काम चलाया जा सकता है।

(10) **न्यायपूर्ण**—उप-विभाजन व अपखण्डन न्यायपूर्ण है, क्योंकि सभी को सभी भूमियों में हिस्सा मिल जाता है। इससे आपस में प्रेम-भाव बढ़ता है।

Scanned with CamScan